सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

MOST URGENT

फा. सं. **NCST/DEV-1335/JH/32/2023-ESDW** दिनांक: 30.01.2023

श्री किशोर कौशल,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
कमरा संख्या- 301, बी ब्लॉक,
कलेक्ट्रेट बिल्डिंग,
रांची, 834008
ईमेल- ssp-ranchi@jhpolice.gov.in

विषय: खतियानी आदिवासी जमीन पर गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति मदन साव व अन्य के द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने के संबंध में, सुश्री लाली कच्छप, पति- स्व. अजय कच्छप, न्यू तारा बाबू लेन, थड़पखना, पो.- मुख्य डाकघर, थाना- लोअर बाजार, जिला- रांची (झारखंड) का दिनांक 29.01.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **सुश्री लाली कच्छप, पति- स्व. अजय कच्छप** से एक याचिका/शिकायत/सूचना दिनांक-29.01.2023 प्राप्त हुई है(प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक ने मामले में दिनांक **31.01.2023 को अपराह्न 02.00 बजे राज्य अतिथि गृह, रांची (झारखंड)** में आपके साथ सुनवाई तय की है। अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप इस नोटिस के प्राप्त होते ही दिनांक 31.01.2023 को मामले से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट/अनुपालन रिपोर्ट सहित आयोग के माननीय सदस्य के समक्ष **वैयक्तिक रूप से** उपस्थित होने का कष्ट करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत तिथि को आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों के अनुसरण में आपको आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' या 'वारंट' भी जारी कर सकता है।

30.01.2023

(डॉ. जयंत जनार्दन सरोदे)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ:
सुश्री लाली कच्छप, पति- स्व. अजय कच्छप,
न्यू तारा बाबू लेन, थड़पखना,
पो.- मुख्य डाकघर, थाना- लोअर बाजार,
जिला- रांची (झारखंड)

1195- 1196
31/1/23 जारी किया ISSUED